खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– [illegible]–नि0वक्ल अनु0–01, 201[illegible]– 6343 / खाद्य0 पटना, दिनांक– 27.0[illegible]

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः– **जन वितरण प्रणाली ऑनलाईन निरीक्षण व्यवस्था (PDS Online inspection management system - POIMS) के कार्यान्वयन के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध से आप अवगत हैं कि दिनांक 11.08.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं इसके निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के ऑनलाईन निरीक्षण प्रबंधन व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया है, जिसके द्वारा जनवितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण डिजिटल प्रपत्र में मोबाईल / टैब के माध्यम से वास्तविक समय में, यथा– स्थान–GPS के साथ निरीक्षण स्थल से upload करने की व्यवस्था की गयी है । इसके अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों एवं दुकान के भंडार का भी फोटोग्राफ लेकर उसे निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ upload करने की व्यवस्था की गयी है । Online निरीक्षण व्यवस्था में यह भी व्यवस्था है कि विहित प्रपत्र में निरीक्षण किये गये प्रतिवेदन को भी स्कैन (Scan) कर या उसका फोटोग्राफ तैयार कर e-PDS फार्मेट में भी उसे upload किया जा सकता है । यह व्यवस्था NIC, Patna के माध्यम से तैयार किया गया है और इसे BELTRON के स्टेट डाटा सेन्टर पर संधारित है, अतः यह पूर्णरूपेण सुरक्षित (Secured) है । किसी दुकान के निरीक्षण की स्थिति का एवं उसके प्रतिवेदन का अवलोकन वरीय पदाधिकारी इस Website के माध्यम से कर सकते हैं ।

आप अवगत हैं कि पत्रांक – 859, दिनांक 26.02.2001 द्वारा निरीक्षण का मापदंड निर्धारित किया गया था, जिसे विभागीय पत्रांक – 9958, दिनांक 31.12.2014 द्वारा पुनः परिचालित करते हुए निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है । विभिन्न श्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा पाया जाता है कि निरीक्षण के उपरान्त कालान्तर में निरीक्षण प्रतिवेदन से छेड़–छाड़ के साथ–साथ निरीक्षण में आये तथ्यों से विरोधाभासी तथ्य के आधार पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण कतिपय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के प्रति लोगों में आक्रोश पैदा होता है । इसके साथ–साथ किसी दुकान के कार्यकलाप को लम्बे अवधि का सम्यक आंकलन भी नहीं हो पाता है । कतिपय जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निचले स्तर पर सांठ–गांठ के कारण निरीक्षण किया ही नहीं जाता है । इस व्यवस्था से वरीय पदाधिकारी ऐसे मामलों पर जिला स्तर से एवं अनुमण्डल स्तर से भी निरीक्षण की व्यवस्था एवं उसपर कृत कार्रवाई का पर्यवेक्षण कर सकते हैं । कई स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा जनवितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण विभागीय मापदण्ड के अनुसार नहीं करने की भी जानकारी प्राप्त होती है । अतः सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:–

1. उपरोक्त विभागीय निदेशों के आलोक में सभी अधीनस्थ पदाधिकारी लक्षित जन वितरण प्रणाली के उचित मूल्य के दुकानों का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण स्थल से ही साक्ष्य के कुछ फोटोग्राफ के साथ POIMS पर अपलोड करेंगे । यदि किसी तकनीकी कारणवश अपलोड नहीं हो पाता है तो उसे PDF Formet तैयार कर या प्रपत्र में निरीक्षण कर तत्काल ही POIMS पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

C:\Users\DELL\Documents\letter.doc

2. [illegible]
[illegible] दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) के साथ upload कर दिया जाय । उल्लेखनीय है कि प्रखंड एवं अनुमण्डल स्तर पर पूर्व से ही कार्यपालक सहायक की व्यवस्था है, जिनके लैपटॉप/कम्प्यूटर से समय सीमा (एक माह) के अन्दर इस कार्य को पूर्ण कर ली जाय ।
3. जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उप निदेशक (खाद्य), द्वारा समय–समय पर POIMS के Website से पदाधिकारीवार निरीक्षण प्रतिवेदन संकलित कर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा की एवं इसमें शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों पर ठोस अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।
4. NIC, Patna (Technology Bhawan) द्वारा सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को V.C के माध्यम से जिला स्थित NIC, V.C कक्ष में एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जाय, ताकि इसमें कोई कठिनाई न हो ।
5. पूर्व में निरीक्षण के संबंध में निर्गत निदेश यथावत रहेंगे, लेकिन यदि किसी निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन यदि उक्त वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जाएगा तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा ।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
26/8/2015
सरकार के सचिव ।

पत्रांक – प्र07–वि0बैठक अनु0–01/2014 6843 खाद्य,पटना/दिनांक– 27.08.1[illegible]
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/8/2015
सरकार के सचिव ।

पत्रांक – प्र07–वि0बैठक अनु0–01/2014 6843 खाद्य,पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/8/2015
सरकार के सचिव ।

पत्रांक – प्र07–वि0बैठक अनु0–01/2014 6843 खाद्य,पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/8/2015
सरकार के सचिव ।

पत्रांक – प्र07–वि0बैठक अनु0–01/2014 6843 खाद्य,पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – सभी उपनिदेशक, खाद्य/अपर जिला दण्डाधिकरी, (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015
सरकार के सचिव ।

C:\Users\DELL\Documents\letter.doc